UPAD010074272026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।

उपस्थितः– अभय प्रताप सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O.CODE:– UP6315

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2736/2026

1– मो0 जावेद पुत्र कल्लू
2– मो0 सुल्तान पुत्र हामिद अली
3– मो0 मन्सूर पुत्र मो0 महबूब
4– मो0 अमजद पुत्र मो0 जावेद
निवासीगण ग्राम भनेवरा थाना बहरिया, जिला–प्रयागराज।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी,

मु.अ.सं.– 126/2020
धारा–147, 148, 149, 323, 325, 504, 506, 452, , 436 भा0 दं0 सं0
थाना– बहरिया, जनपद–प्रयागराज।

दिनांक– 15.07.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मो0 जावेद, मो0 सुल्तान, मो0 मन्सूर एवं मो0 अमजद की ओर से मु.अ.सं.–126/2020, धारा–147, 148, 149, 323, 325, 504, 506, 452, 436 भा0 दं0 सं0 थाना–बहरिया, प्रयागराज के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पैरोकार मो0 अली द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मुबारक अली द्वारा दिनाँक 26.05.2020 को 19.50 बजे थाना बहरिया में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि दिनाँक 26.04.2020 को समय 4.00 बजे शाम को जमीनी विवाद को लेकर उसके जमीन में विपक्षीगण खूंटा गाडकर कब्जा कर रहे थे, जबकि अपने हिस्से की जमीन में बाउन्ड्रीवाल बना लिए हैं। उसके बाद उसकी जमीन कब्जा कर रहे थे। वादी मना करने लगा तो विपक्षीगण मो0 जावेद, वाहिद अली, मो0 मंसूर, मो0 अयूब, मो0 वसीम, मो0 रईस, मो0 सुल्तान और तीन चार लोग अज्ञात ने जबरन शेरेपुस्ती के बल पर वादी के घर में घुसकर लाठी, डंडा, सरिया आदि से उसे तथा उसके भतीजे मो0 नसीम को मारने पीटने लगे तथा उसका छप्पर भी जला दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। जिससे वादी तथा उसके भतीजे मो0 नसीम को गम्भीर चोटें लगी थी।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में तर्क प्रस्तुत किया कि अप0सं0–126/2020 थाना बहरिया प्रयागराज में मामले में दाखिल किया जा रहा यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण में कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है न दाखिल किया है न खारिज ही किया गया है। दिनाँक 26.05.2020 को ही अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थीगण के परिवार वालों के ऊपर समय 4 बजे एकजुट होकर लाठी, डण्डा, सरिया लेकर घर में घुसकर मारने पीटने लगे जिसमें प्रार्थी व उसके भाई आदि लोगों को गम्भीर चोटें आयी, जिसकी प्राथमिकी संख्या 127/2020 दर्ज करायी जाती है। उक्त प्राथमिकी का क्रास केस बनाने के लिये अभियोजन द्वारा दिनाँक 26.04.2020 की घटना की समय 01 माह पूर्व की बताकर थाने में अपने रसूख का इस्तेमाल कर थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। बहरिया थाने की पुलिस अभियोजन पक्ष के दबाव में आकर दिनाँक

26.04.2020 को ही प्रार्थी के परिवार वालों तथा कुछ व्यक्ति विरोधी पक्ष को पकड़ कर थाने उठा ले गयी व दिनाँक 27.05.2020 को फर्द गिरफ्तारी दिखाकर चोटहिल शमीम का भी चालान कर दिया। थाना बहरिया की पुलिस ने अभियोजन पक्ष में नामित व्यक्तियों के ऊपर आरोपित धाराओं में संशोधन कर उक्त धाराओं का लोप करके चोटहिल मो0 शमीम के चोट के आधार पर धारा 308 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा नये अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाये तथा मुख्य अभियुक्तों के विरूद्ध विवेचना प्रमाणित करके आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। प्रार्थी अब्दुल वाहिद के साथ उसके लड़के मो0 शेबू को भी थाना बहरिया की पुलिस रात में घर से उठा लायी तथा उसे अभियुक्त बना दिया, जबकि वह प्राथमिकी में नामजद नहीं है। प्रार्थीगण के ऊपर इस केस के अतिरिक्त कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण के साथ नामित अभियुक्तगण मो0 अयूब, मो0 वसीम, मो0 रईश की जमानत माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–5 द्वारा तथा अन्य अभियुक्तों की जमानतें स्वीकृत की जा चुकी है। अभियोजन में यह उल्लेख नहीं है कि चोटहिल को किसने मारा तथा छप्पर किसने जलाया। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर वादी मुकदमा एवं उनके भाईयों को घर में घुसकर लाठी, डंडा, सरिया आदि से मार पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया व वादी का छप्पर जला दिया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर अन्य अभियुक्तों के के साथ एकराय होकर जमीनी विवाद को लेकर जमीन में खूडा गाड़ कर कब्जा करने के दौरान वादी व उसके भाई को मारने पीटने का आक्षेप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई स्पेसफिक रोल दर्शित नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित है कि उपरोक्त घटना के संबंध में ही मु0 अ 0 सं0–127/2020 धारा–147, 148, 149, 323, 506, 452, 436 अभियुक्त मो0 वसीम द्वारा भी पंजीकृत कराया गया है। मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा विवेचना प्रभावित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। मामले के सह अभियुक्तगण मो0 अयूब, मो0 वसीम एवं मो0 रईस का जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1052/2020 दिनाँक 20.08.2020 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–5 द्वारा तथा जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2415/2026 दिनाँक 17.06.2026 को अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। अभियुक्तगण दिनाँक 03.07.2026 से स्वंय से आत्म समर्पण कर कारागार में निरूद्ध हैं। अभियोजन की ओर से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मो0 जावेद, मो0 सुल्तान, मो0 मन्सूर एवं मो0 अमजद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2736/2026, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुबलिक पचास–पचास हजार रूपये की एक–एक जमानतें व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

(1) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

(2) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण यह बन्धपत्र भी दाखिल करेगा कि अभियुक्त विवेचना/विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(3) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(4) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस आशय का भी एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर न्यायालय को यह अधिकार होगा कि न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित करें।

दिनांक–15.07.2026

(अभय प्रताप सिंह–।)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।
J.O.CODE– UP6315

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.07.15 15:26:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court